

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), सीकर

क्रमांक: Fire/20-21

2940

दिनांक: 05/03/2021

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/ORELU/SIK/0002380

17/8/22

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंखा सहित प्राप्त निम्न आग (गांव आग) के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आग (गांव आग) से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करण में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | आवेदन संख्या | पीड़ित का विवरण | आपदा का क्षेत्र | आपदा की दिनांक | क्षति का प्रकार | क्षति का विवरण | देय सहायता राशि | |
|---------|------------------------------|--|--|----------------|-----------------|--|-----------------|-------|
| 1 | AR/SIKA/2 020/00017 8 | नाम: Dhanne Singhपिता का नाम: CHANDRA SINGHजिला: सीकर | GARANDWA, GARANDWA, रामगढ़ शेखावाटी, पंचायत समिति -फतेहपुर, ग्राम पंचायत -सहणूसर, गांव - गरण्डवा | 14/05/2020 | आग (गांव आग) | As per SDRF Norms recommended and Forward ₹3200 ₹1800 | 5000 | |
| 2 | AR/SIKA/2 020/00006 9 | नाम: Sitararam Swamiपिता का नाम: BHAGA DAS SWAMIजिला: सीकर | NA, गोविन्दपुरा तहसील नीम का थाना जिला सीकर, नीमकाथाना, पंचायत समिति -नीमकाथाना, ग्राम पंचायत -गोविन्दपुरा, गांव - गोविन्दपुरा | 30/04/2020 | आग (गांव आग) | As per SDRF Norms Recommended and Forward ₹3000 ₹2100 | 35100 | |
| 3 | AR/SIKA/2 020/000409 5 | नाम: Rajendra Kumar Lambaपिता का नाम: जगदीश प्रसादजिला: सीकर | गाडोदा, गाडोदा, लक्ष्मणगढ़, पंचायत समिति -लक्ष्मणगढ़, ग्राम पंचायत -गाडोदा, गांव - गाडोदा | 18/10/2020 | आग (गांव आग) | As per SDRF Norms recommended and forward. ₹500 @ 1800 | 1800 | |
| योग | | | | ₹41900 | | | | 41900 |

P.T.O

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[021]-12

2940
17/8/22

प्रतिलिपि -निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त.....
3. जिला कलेक्टर, सीकर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सीकर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हजारा

(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सीकर



जिला कलेक्टर

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
सीकर

